(दिनांक 21-07-2018 के एंप्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशनार्थ)

कर्मचारी चयन आयोग

आनलाइन पंजीकरण आरंभ दिनांक : 21-07-2018
आनलाइन पंजीकरण अंतिम तिथिः 20-08-2018
कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि : सूचना बाद में जारी की जाएगी

विज्ञप्ति

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण,सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल(सामान्य ड्यूटी) और असम राइफल्स(ए आर) में राइफलमैन(सामान्य ड्यूटी) की भर्ती परीक्षा, 2018

सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्य र्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

फा.सं. 3/2/2017-नी। एवं यो -। - गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित भर्ती योजना तथा गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सी.सु.ब., के.रि.पु.ब., के.औ.सु.ब., भा.ति.सी.पु.ब.,स.सी.ब., रा.अ.अ. तथा स.सु.ब. में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) तथा असम राइफल्स में राइफलमैन के पदों पर भर्ती के लिए एक खुली परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षा(पीईटी), शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (पीएसटी) कंप्यूटर आधारित परीक्षा(सीबीई) और चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी । इस भर्ती की प्रमुख विशिष्टताएं निम्नानुसार हैं:-

(i) इस परीक्षा का विज्ञापन गृह मंत्रालय द्वारा सूचित रिक्तियों के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किया जाएगा।

(ii) देशभर के अभ्यर्थियों से आवेदन केवल **आनलाइन** पद्धति के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे।

(iii) आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) केवल **अंग्रेजी और हिंदी** में ही आयोजित की जाएगी।

(iv) शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (पीएसटी)/विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई)/पुनरीक्षण चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) की समय सारणी और उसका आयोजन कें.स.पु.बलों द्वारा किया जाएगा।

(v) कें.स.पु.बलों द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरान अभ्यर्थियों से प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों का संग्रहण और उनका सत्यापन किया जाएगा।

(vi) एनआईए और एसएसएफ में कांस्टेबल की रिक्तियां अखिल भारतीय आधार पर भरी जाएंगी, जबकि अन्य सभी के.स.पु.बलों में रिक्तियां विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भरी जाएंगी। इसके अलावा, सीमावर्ती रक्षक जिलों और

नक्सल प्रभावित जिलों के लिए रिक्तियां निर्धारित है जो केवल इन जिलों के अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षित हैं।

(vii) सीमावर्ती जिलों तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के नामों की सूची अनुबंध-XII और XIII पर उपलब्ध है।

(viii) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर आयोग द्वारा अंतिम परीक्षा परिणाम और बल आबंटन किया जाएगा । शारीरिक मापदंड परीक्षा, शारीरिक क्षमता परीक्षा और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा अर्हक प्रवृति के होंगे।

(ix) परीक्षा की विज्ञप्ति, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन तथा योग्यता सूची तैयार करने और चयनित अभ्यर्थियों के बल आबंटन से संबंधित न्यायिक मामलों पर क.च.आ.द्वारा कार्रवाई की जाएगी तथा जो न्यायिक मामले अन्य सभी मुद्दों से संबंधित है, जैसे-परीक्षा की योजना, रिक्तियां पीईटी/पीएसटी, डीएमई/आरएमई, दस्तावेज सत्यापन आदि, उन पर के.स.पु.बलों/गृह मंत्रालय के साथ समन्वय करके कार्रवाई की जाएगी।

(x) परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेशपत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा आयोग के क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट और साथ ही सीआरपीएफ की वेबसाइट अर्थात http://www.crpf.gov.in पर प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा प्रक्रिया की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट अर्थात http://www.ssc.nic.in संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों और नोडल के.स.पु.ब. अर्थात सीआरपीएफ की वेबसाइट का अवलोकन करें और परीक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर लें।

वेतनमान: 21700-69100 रूपए

2. रिक्तियाँ एवं आरक्षण निम्नानुसार हैं :-

सीएपीएफ में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या 54953 है, नोडल बल अर्थात् सीआरपीएफ द्वारा सूचित की गयी बल वार संख्या निम्नानुसार है :-

बल	पुरूष					महिला					सकल योग
	अजा	अजजा	अपिव	अना	योग	अजा	अजजा	अपिव	अना	योग	
सीसुब	2351	1341	3267	7477	14436	412	235	575	1326	2548	16984
केऔसुब	26	13	47	94	180	2	0	5	13	20	200
केरिपुब	3893	1586	4230	10263	19972	328	12	398	856	1594	21566
ससीब	1041	610	1420	3450	6521	338	159	477	1051	2025	8546
भातिसीपु	533	366	726	1882	3507	97	60	128	334	619	4126
असम राइफल्स	290	361	448	1212	2311	96	115	150	404	765	3076
रा.अन्वे. अभिकरण	0	1	2	5	8	0	0	0	0	0	8
स.सु.बल	38	47	75	212	372	10	7	18	40	75	447
योग	8172	4325	10215	24595	**47307**	1283	588	1751	4024	**7646**	**54953**

ये रिक्तियां अनंतिम हैं। रिक्तियों की संख्या में किसी भी परिवर्तन के बारे में आयोग की वेबसाइट अर्थात http://www.ssc.nic.in के जरिए सूचित किया जाएगा।

टिप्पणी-I : नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है ।

टिप्पणी-II: प्रत्येक श्रेणी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित हैं । उपयुक्त संख्या में भू.पू.सै. उपलब्ध न होने की दशा में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्तियां संबंधित श्रेणी के गैर-भूपूसै से भरी जाएंगी ।

टिप्पणी-III: चूंकि रिक्तियां संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित की गई हैं, अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चिकित्सा परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय आनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा उल्लिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का अधिवास प्रमाण पत्र/स्थायी निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा तथा अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षा कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे चिकित्सा परीक्षा/दस्तावेजों के सत्यापन के समय राज्य परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी और उसकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। **अतः अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि वे आवेदन पत्र भरते समय अत्यंत सावधानी बरतें।**

टिप्पणी-IV: चयन के उपरांत अभ्यर्थियों की नियुक्ति विभिन्न के.स.पु.बलों में प्रशिक्षण स्थल की उपलब्धता और रिक्तियों के अधीन है। इसलिए, अभ्यर्थियों को रिक्तियों और साथ ही साथ प्रशिक्षण स्थल की उपलब्धता के अनुसार अलग-अलग चरणों में नियुक्त किया जा सकता है । कार्य ग्रहण और सेवा संबंधी मुद्दें, वरिष्ठता, प्रशिक्षण आदि विभिन्न संगठनों के नियमों व विनियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

3. राष्ट्रीयता/नागरिकता :

अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए । रिक्तियां राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार हैं, अतः अभ्यर्थी अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अधिवास/स्थायी निवास प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करें ।

4. **(क)** आयु सीमाः 01.08.2018 को 18 से 23 वर्ष। अभ्यर्थी का जन्म 2.8.1995 से पहले और 01.08.2000 के बाद न हुआ हो।

टिप्पणी-I: अजा,अजजा,अपिव,भूतपूर्व सैनिक और व्यक्तियों की अन्य श्रेणियों के लिए इस विषय पर सरकारी आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट है।

टिप्पणी-II: अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि आयोग द्वारा आयु पात्रता के निर्धारण के लिए मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

4. (ख) गणना की तिथि को आयु में छूट के दावे के लिए पात्र अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणी के लिए उपलब्ध श्रेणी-कोड और आयु में छूट निम्नानुसार है :

कोड सं।	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट
01	अजा/अजजा	05 वर्ष
02	अ पि व	03वर्ष
03	भूतपूर्व सैनिक(अनारक्षित/सामान्य)	गणना की तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
04	1984 के दंगों अथवा गुजरात में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए दंगा पीड़ितों के बच्चे और उनके आश्रित (अनारक्षित)	05 वर्ष
05	1984 के दंगों अथवा गुजरात में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए दंगा पीड़ितों के बच्चे और उनके आश्रित (अपिव)	08 वर्ष
06	1984 के दंगों अथवा गुजरात में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए दंगा पीड़ितों के बच्चे और उनके आश्रित (अजा/अजजा)	10 वर्ष
07	अभ्यर्थी जो साधारणतया 1 जनवरी,1980 से 31 दिसम्बर,1989 की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अनारक्षित)	05 वर्ष

टिप्पणी-I: ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत **समूह 'ग' पदों** में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे शुल्क में छूट अथवा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं । तथापि, वे आयु सीमा में छूट के पात्र हैं।

टिप्पणी-II: सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से सशस्त्र सेनाओ में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी ।

टिप्पणी-III: आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओ के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को

सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह अन्तिम तिथि अर्थात 20.08.2018 से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओ की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा ।

टिप्पणी-IV: भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है । अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भू .पू .सै. नहीं लिखना चाहिए ।

स्पष्टीकरण 1: भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है :-

(i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, जल सेना या वायु सेना मे लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत हुआ हो । इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन अर्जित कर चुके हों; या

(ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या

(ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या

(ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक नामतः सतत सेवा या अर्हक सेवा की खंडित पारियों के पेंशन धारक;

या

(iii) सेना डाक सेवा के वे कार्मिक जो रेगुलर सेना का भाग हों और थल सेना डाक सेवा से अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बगैर पेंशन के साथ सेवा निवृत हुए हों या सशस्त्र सेवा के कारण या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से कार्य-मुक्त किए गए हों और उन्हें चिकित्सा या अन्य निशक्तता पेंशन दी गयी हो ।

या

(iv) कार्मिक, जो 14 अप्रैल,1987 से पहले छह महीने से अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर सेना डाक सेवा में थे ।

या

(v) प्रादेशिक सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता

या

(vi) चिकित्सा आधार पर बोर्ड द्वारा कार्यमुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें पेंशन मंजूर की गयी हो।

स्पष्टीकरण 2: संघ की सशस्त्र सेनाओ में कार्यरत व्यक्ति जो सेवा से निवृत्त होने के पश्चात "भूतपूर्व सैनिक" की श्रेणी में आएंगे, को सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी करने से एक वर्ष पहले पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने तथा भूपूसै की सभी रियायतों का लाभ उठाने की अनुमति दी जा

सकती है, किन्तु उन्हें तब तक वर्दी (यूनिफार्म) छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे संघ की सशस्त्र सेनाओ में सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी नहीं कर लेते।

स्पष्टीकरण 3: बच्चों से तात्पर्य

क) पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) अथवा
ख) पुत्री(दत्तक पुत्री सहित)
आश्रित परिवार के सदस्यों से तात्पर्य
क) पति/पत्नी अथवा
ख) बच्चे अथवा
ग) अविवाहित पीडित के मामले में भाई अथवा बहन जो उस पीडित व्यक्ति पर दंगे में उसके मारे जाने के समय पूर्णतया आश्रित था/थी पात्र होगा/होगी । श्रेणी संख्या 04/05/06, में ऊपरी आयु में छूट के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को इस आशय का संबंधित जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, जहां पीडित व्यक्ति मारा गया था, से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

4 (ग): प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्र का प्रारुपः

(i) जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने हेतु इच्छुक हैं/ अथवा आयु में छूट चाहते हैं, वे विहित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करें। अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/भूपूसै के दर्जे के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता/आवेदन को सामान्य (अना) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। इन प्रमाणपत्रों के प्रारुप संलग्न हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नही आता/आती है। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि, आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 20.08.2018 होगी। अभ्यर्थी यह भी नोट कर लें कि उपर्युक्त के संबंध में उनकी अभ्यर्थिता तब तक अस्थायी रहेगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज का सत्यापन नहीं कर लिया जाए।

(ii) अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/अपिव/भूपूसै श्रेणी का होने का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें वारित किया जा सकता है ।

(iii) किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों पर उनके संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र में भर्ती के लिए ही विचार किया जाएगा जिसके लिए उन्हें अपना अधिवासी दर्जा सिद्ध करने के लिए सम्बद्ध राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा यथा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध "अधिवास प्रमाणपत्र" <u>दस्तावेज सत्यापन</u> के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का अधिवास/स्थायी निवास प्रमाणपत्र देना चाहिए अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।

(iv) चूंकि असम राज्य अधिवास प्रमाणपत्र/पीआरसी जारी नही कर रहा है, इसलिए असम राज्य के अभ्यर्थी को इसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है। तथापि, उनका चयन संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा आवास प्रस्थिति के सत्यापन की शर्त पर होगा।

(v) पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, जो जम्मू व कश्मीर राज्य में बस गए हैं, लेकिन उन्हें जम्मू व कश्मीर राज्य का नागरिक होने का दर्जा नही दिया गया है, की भर्ती जम्मू व कश्मीर राज्य के नामित प्राधिकारी से अधिवास प्रमाणपत्र प्राप्त करने की शर्त के बिना की जाएगी। तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को अनुबंध-XIV के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के लिए मूल निवास/पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

5. **शैक्षिक योग्यताएं (01.08.2018 को)**

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन अथवा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ।

(i) जिन अभ्यर्थियों ने दिनांक 01.08.2018 को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हासिल नहीं की है, वे पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।

(ii) अभयर्थियों को मूलरूप में संबंधित दस्तावेज/प्रमाणपत्र और आयु, शिक्षा, जाति, अधिवास, पहाड़ी क्षेत्र, छूट के लिए श्रेणी प्रमाणपत्र, अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी), सेवा निवृत्ति प्रमाणपत्र (भूतपूर्व सैनिकों के मामले में) अनिवार्य रूप से लाना चाहिए, जिनकी कें.स.पु.ब. बोर्ड द्वारा **विस्तृत चिकित्सा परीक्षा** के दौरान जांच/सत्यापन किया जाएगा।

(iii) जो अभ्यर्थी दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सिद्ध करने में सक्षम होंगे कि अर्हक परीक्षा का परिणाम अंतिम तारीख अर्थात 01.08.2018 को या उससे पहले घोषित किया गया था और उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया था, उसे अपेक्षित शैक्षिक योग्यता धारक माना जाएगा।

6. आवेदन का तरीका:

अभ्यर्थी वेबसाइट http://www.ssconline.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन या http://www.ssc.nic.in.Apply> GD-Constable पर दिए गए लिंक 'यहां क्लिक करें' पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने का तरीका अनुबंध-III पर दिया गया है।

7. आवेदन शुल्क और भुगतान करने का तरीका:

(i) देय शुल्क रु. 100/- (केवल एक सौ रुपये)

(ii) शुल्क भुगतान एसबीआई चालान/एस बीआई नेट बैंकिंग के जरिए वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

(iii) महिला अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों और आरक्षण के लिए पात्र पूर्व सैनिकों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गयी है।

(iv) निर्धारित शुल्क भुगतान किए बिना प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह के अस्वीकरण के खिलाफ कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किए जाने वाले शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

टिप्पणी-I : भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी-II: शुल्क के भुगतान सहित ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा 21.07.2018 से 20.08.2018 **(5.00 बजे सायं)** तक उपलब्ध रहेगी । तथापि, जो उम्मीदवार एसबीआई के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे दिनांक 23.08.2018 तक बैंक के कार्य-समय के भीतर एसबीआई की नामित शाखाओं में भुगतान कर सकते हैं बशर्ते कि चालान आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख और समय से पहले अर्थात 20.8.2018 **(सायं 5.00 बजे तक)** बनाया गया हो।

टिप्पणी-III: जो अभ्यर्थी शुल्क भुगतान से मुक्त नहीं हैं, वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनका शुल्क क.चा.आ. में जमा किया गया है। यदि क.चा.आ. में शुल्क प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दिखायी जाती है और यह जानकारी आवेदन पत्र के शीर्ष पर मुद्रित होती है। इसके अतिरिक्त, http://www.ssc.nic.in पर प्रदान की गई टैब 'यहां अपनी एप्लिकेशन की स्थिति जांचें' पर स्थिति की जांच की जा सकती है। इस तरह के आवेदन जो शुल्क की प्राप्ति न होने के कारण अधूरे रहते हैं, उन्हें **सरसरी तौर पर निरस्त** कर दिया जाएगा और परीक्षा की विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों और शुल्क के भुगतान पर विचार करने के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. परीक्षा केंद्र:

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस केंद्र (ओं) को इंगित करें, जिसमें वह परीक्षा देना चाहता है। परीक्षा केन्द्र और क्षेत्रीय कार्यालय जिनके अधिकार क्षेत्र में ये परीक्षा केन्द्र स्थित हैं, के ब्यौरे निम्नुसार हैं:

क्र. सं.	परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड	क.च.आ. क्षेत्र और क.च.आ. क्षेत्र के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों/ वेबसाइट का पता
1	आगरा(3001),इलाहाबाद(3003),बरेली (3005),गोरखपुर(3007),कानपुर(3009), लखनऊ(3010),मेरठ(3011),वाराणसी(3013), भागलपुर(3201),मुजफ्फरपुर(3205), पटना(3206)	केंद्रीय क्षेत्र (म.क्षे.)/बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 21-23, लोथर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश -211 002। **(http://www.ssc-cr.org)**

2	गंगटोक (4001),रांची(4205), बरासत (4402), बेरहामपुर(डब्ल्यूबी)(4403),चिनसराह(4405), जलपाईगुड़ी(4408),कोलकाता (4410), मालदा (4412),मिदनापुर (4413), सिलीगुड़ी (4415),बेरहमपुर (ओडिशा) (4602), भुवनेश्वर(4604),कटक(4605), कें झरगढ़ (4606),संबलपुर (4609), पोर्ट ब्लेयर (4802)	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) /अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8वांतल), 234/4,आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700020 **(http://www.sscer.org)**
3	बैंगलोर (9001), धारवार (9004), गुलबर्गा (9005), मैंगलोर (9008), मैसूर (9 00 9), कोच्चि (9204), कोझिकोड (कालीकट) (9206), तिरुवनंतपुरम (9 211), त्रिशूर (9 212)	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (केकेआर) / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (केरल कर्नाटक क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई"विंग, केन्द्रीय सदन , कोरामंगला , बेंगलुरू , कर्नाटक-560034 **(http://www.ssckkr.kar. nic.in)**
4	भोपाल(6001), चंदवाड़ा (6003), गुना (6004), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), खंडवा (6009), रतलाम (6011), सतना (6014), सागर (6015), अंबिकापुर (6201), बिलासपुर(6202) जगदलपुर (6203), रायपुर 6204), दुर्ग (6205)	मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (एमपीआर) /छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	उप निदेशक (एमपीआर), कर्मचारी चयन आयोग, जे-5, अनुपम नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़-492,007 **(http://www.sscmpr.org)**
5	इटानगर (5001), डिब्रूगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर)(5105), जोरहाट(5107), सिलचर(5111), कोहिमा(5302), शिलांग (5401), इम्फाल(5501),चुराचंदपुर(5502), उखरूल (5503),अगरतला (5601), आइजाल (5701)	पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।	क्षेत्रीय निदेशक(एनईआर), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, अंतिम गेट वशिष्ठ रोड, पीओ असम सचिवालय, दिसपुर,गुवाहाटी, असम-781,006 **(http://www.sscner.org.in)**
6	अल्मोड़ा (2001), देहरादून (2002), हल्दवानी (2003),श्रीनगर(उत्तराखंड)(2004), हरिद्वार(2005), दिल्ली (2201), अजमेर (2401), अलवर (2402), भरतपुर (2403), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), कोटा (2407), श्रीगंगानगर (2408), उदयपुर (2409)	उत्तरी क्षेत्र (एनआर) /रा.रा.क्षे. दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (एनआर), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 **(http://www.sscnr.net.in)**

7	अनंतनाग (1001), बारामुला (1002), जम्मू(1004), लेह (1005), राजौरी (1006), श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) (1007), कारगिल (1008), डोडा (1009), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), भटिंडा (1401), जलंधर (1402), पटियाला (1403), अमृतसर (1404), चंडीगढ़ (1601)	पश्चिमोत्तर (एनडब्ल्यूआर) /चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पंजाब	उप निदेशक (एनडब्ल्यूआर), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 3, ग्राउंड फ्लोर, केन्द्रीय सदन , सेक्टर 9,चंडीगढ़-160009 **(http://www.sscnwr.org)**
8	गुंटूर (8001), कुरनूल (8003), राजामुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विशाखापत्तनम (8007), विजयवाड़ा (8008), चेन्नई (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), तिरुचिरापल्ली (8206), तिरुनेलवेली(8207), पुडुचेरी (8401), हैदराबाद(8601), निजामाबाद (8602), वारंगल (8603)	दक्षिणी क्षेत्र (एसआर)/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (एसआर), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपथ बिल्डिंग, डीपीआई कैंपस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु -600006 **(http://www.sscsr.gov.in)**
9	अहमदाबाद (7001) , वडोदरा (7002), राजकोट (7006), सूरत(7007), भावनगर (7009), कच्छ (7010), अमरावती (7201), औरंगाबाद(7202), कोल्हापुर(7203), मुंबई(7204), नागपुर (7205), नांदेड (7206), नासिक (7207), पुणे (7208), ठाणे (7210), भंडारा (7211), चंद्रपुर (7212), अकोला (7213), जलगांव(7214), अहमदनगर (7215), अलीबाग(7216), पणजी (7801)	पश्चिमी क्षेत्र (पश्चिमी क्षेत्र) / दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (डब्ल्यूआर), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, साउथ विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि करवे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र-400020 **(http://www.sscwr.net)**

टिप्पणी-I: अभ्यर्थी प्राथमिकता के क्रम में, उसी क्षेत्र के भीतर तीन केंद्रों के लिए विकल्प दे सकता है। इसके पश्चात किसी भी परिस्थिति में केंद्र के परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थी, केन्द्र का चयन ध्यान से करें और अपने आवेदन में उसे ठीक से इंगित करें।

टिप्पणी-II: आयोग उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए केंद्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग प्रशासनिक व्यवहार्यता के आधार पर, अपने विवेकानुसार किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या कुछ अन्य केंद्रों को शामिल करने, अभ्यर्थी को उसके द्वारा चुने गए केंद्र से अन्य केंद्र आबंटित करने का का अधिकार रखता है।

टिप्पणी-III: कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र, पीईटी/पीएसटी या विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई)/पुनर्विचार मेडिकल परीक्षा (आरएमई) उस राज्य/संघराज्य-क्षेत्रों की रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु कोई मानदंड नहीं होगा जिसमें ऐसे केंद्र स्थित हैं। इस प्रयोजनार्थ अधिवास प्रमाण-पत्र/स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एकमात्र मानदंड होगा।

9. परीक्षा की योजना

I. <u>कंप्यूटर आधारित परीक्षा</u> (परीक्षा की तारीखों के बारे में उचित समय पर सूचित किया जाएगा)

उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा, जिनके ऑनलाइन आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में एक **वस्तुनिष्ठ** प्रकार का पेपर होगा जिसमें **100 अंकों के 100 प्रश्न** होंगे। उनकी संरचना निम्नलिखित होगी:

	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंग	अवधि/ समय अनुमत
भाग- क	सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति	25	25	90 मिनट
भाग- ख	सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी	25	25	
भाग- ग	प्रारंभिक गणित	25	25	
भाग- घ	अंग्रेजी/हिंदी	25	25	

टिप्पणी-I: सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी ।

परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा :

क. <u>सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति</u>: सैद्धान्तिक रूप से गैर-शाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से विशलेष्णात्मक अभिरूचि देखने और प्रतिरूपों में भिन्न्ता करने की योग्यता आंकी जाएगी। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग इत्यादि पर प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है।

ख. <u>सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी</u> : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के परिवेश की सामान्य जानकारी की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन-प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैधानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी

प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पडोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य–व्यवस्था, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये इस प्रकारके प्रश्न होंगे कि उनके लिए किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

ग. <u>प्रारंभिक गणित</u> : इस प्रश्नपत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णांकों का अभिकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ-हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य, आदि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे।

घ <u>अंग्रेजी/हिंदी</u> : अभ्यर्थियों के मूल अंग्रेजी/हिंदी ज्ञान, उसकी मूलभूत समझ आदि की जांच की जाएगी।

उपर्युक्त सभी संघटकों के प्रश्न मैट्रिक स्तर के होंगे।

टिप्पणी-I: अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन, कैलकुलेटर्स, ब्लूटूथ उपकरण या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रिकल उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अतः अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष के अंदर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर्स, ब्लूटूथ उपकरण या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रिकल उपकरण लेकर न आएं। इन वस्तुओं का अधिग्रहण, चाहे उनका उपयोग किया जाए अथवा न किया जाए, उन्हें परीक्षा में "अनुचित साधनों का उपयोग" माना जाएगा और आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ मौजूदा नीति के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी-II: लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। उत्तर कुंजी अपलोड करने के समय आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त उत्तर कुंजी के संबंध में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन की जांच की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। इसके पश्चात उत्तर-कुंजी के संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी-III: कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तारीखों में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, आयोग की वेबसाइट के माध्यम से नई तारीखों के बारे में सूचित किया जाएगा और परीक्षा के लिए **प्रवेश-पत्र** तदनुसार डाउनलोड किए जाने के लिए उपलब्ध होंगे।

टिप्पणी-IV: कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए मॉक-टेस्ट आयोग की वेबसाइट पर उचित समय पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

II <u>शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी):</u>

कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर, अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पीईटी/पीएसटी के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। के.स.पु. बलों द्वारा अंतिम रूप से निर्णीत विभिन्न केंद्रों पर शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) आयोजित की जाएगी। विस्तृत चिकित्सा जांच के दौरान अभ्यर्थियों की पात्रता/दस्तावेजों की विस्तृत की जाएगी। इसलिए, कंप्यूटर

आधारित परीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा में बैठने से पहले अपनी पात्रता की जांचकरने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। शारीरिक मानक परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान, ऊंचाई के मानकों पर योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) देनी होगी और इसके पश्चात उनकी बायोमेट्रिक/तकनीक समर्थित पहचान की जाएगी। किसी भी छूट अर्थात आयु, ऊंचाई और छाती की माप के लिए, अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच शारीरिक मानक परीक्षा से पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में अर्हता प्राप्त करने के बाद के.स.पु.ब. द्वारा की जाएगी।

क. शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी):

	पुरुष उम्मीदवारों के लिए	महिला उम्मीदवारों के लिए
दौड़	24 मिनट में 5 किमी.	8½ मिनट में 1.6 किमी.

ख. लद्दाख क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए :

	पुरुष	महिला
दौड़	6½ मिनट में 1 मील	4 मिनट में 800 मीटर

ग. पीईटी के समय गर्भावस्था को अयोग्य होने का कारण माना जाएगा और इस चरण में गर्भवती महिला अभ्यर्थियों को निरस्त कर दिया जाएगा।

घ. जो भू.पू.सै. कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शार्टलिस्ट किए जाएंगे, उन्हें केवल ऊंचाई, सीना और वजन की माप को दर्ज किए जाने हेतु पीईटी/पीएसटी चरण में उपस्थित होना होगा । इन भूतपूर्व सैनिकों के लिए पीईटी आयोजित नहीं किया जाएगा । इसके अतिरिक्त उन्हें चिकित्सा परीक्षा(डीएमई) में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

III. <u>शारीरिक मापदंड परीक्षा (पीएसटी)</u> :

कॉन्स्टेबल / राइफलमैन के पद के लिए निर्धारित शारीरिक मानदंड हैं:

क. ऊंचाई:	ऊंचाई (सेमी. में)	
	पुरुष	महिला
सामान्य, अजा, अपिव अभ्यर्थियों के लिए (नीचे उल्लिखित अभ्यर्थियों को छोड़कर)	170	157
<u>छूट:</u>		
अनुसूचित जनजातियों के सभी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	162.5	150
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम	160	147.5

और त्रिपुरा तथा नक्सल / वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों के सभी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई		
गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोगरा, मराठों की श्रेणियों के अभ्यर्थियों और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	165	155
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई	162.5	152.5
गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) जिसमें दार्जिलिंग जिले के तीन उप-मंडल, नामतः दार्जिलिंग, कालीम्पोंग और कुर्सियांग शामिल हैं और जिनमें इन जिलों के निम्नलिखित "मौज़स" उप-उपमंडल भी शामिल हैं: लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा अदालपुर (7) पहारु (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-1 (10) पंतपति वन -1 (11) महानदी वन (12) चंपसारी वन (13) सालारी छत भाग- II (14) सितोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया, के अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई	157	152.5

ख. सीना	**सीना (सेमी. में: बिना फुलाए/न्यूनतम विस्तार)**	
	पुरुष	**महिला**
सामान्य, अजा. और अपिव. पुरुष अभ्यर्थी (निम्नलिखित अभ्यर्थियों को छोड़कर)	80/5	लागू नहीं
<u>छूट:</u>		
अनुसूचित जनजातियों के सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना	76/5	लागू नहीं
गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना	78/5	लागू नहीं
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्यों के अभ्यर्थियों और गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) जिसमें दार्जिलिंग जिले के तीन उप-मंडल, नामतः दार्जिलिंग, कालीम्पोंग और कुर्सियांग शामिल हैं और	77/5	लागू नहीं

जिनमें इन जिलों के निम्नलिखित "मौज़स" उप-उपमंडल भी शामिल हैं: (1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा अदालपुर (7) पहारु (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-1 (10) पंतपति वन -1 (11) महानदी वन (12) चंपसारी वन (13) सालारी छत भाग-II (14) सितोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया, के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना		

ग. वजन: पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए : चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुपात में

टिप्पणी-I: महिला अभ्यर्थियों के सीने का माप नहीं लिया जाएगा। तथापि यह सुनिश्चित किया जाए कि सीना अच्छी तरह से विकसित है।

टिप्पणी-II: छूट के लिए अभ्यर्थियोंकी पात्रता की जांच अर्थात आयु, ऊंचाई और सीने की माप पीएसटी से पहले पीईटी (दौड़) में अर्हता प्राप्त करने की बाद सीएपीएफ शा.मा.प/शा.क्ष.प. बोर्डों द्वारा की जांच की जाएगी। उपरोक्त वर्णित ऊंचाई और सीने (जैसा भी मामला हो) में छूट पीएसटी/पीईटी के समय सक्षम प्राधिकरी से अनुबंध-VIII के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र देने पर ही स्वीकार्य होगी ।

टिप्पणी-III: जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों अर्थात ऊंचाई, और सीने के अनुसार योग्य घोषित नहीं किया जाता है, यदि वे चाहें तो पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र में नामित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उसी दिन अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा और उसके बाद इस संबंध में कोई अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पीईटी (रेस) में कोई अपील नहीं की जा सकती है।

टिप्पणी-IV: शा.मा.प/शा.द.प. और वि.चि.प./पु.चि.प. किए जाने की जिम्मेदारी केवल के.स.पु.ब की होगी। आयोग शा.मा.प/शा.द.प. और वि.चि.प./पु.चि.प. बोर्ड के फैसले के खिलाफ किसी भी अभ्यावेदन/अपील/आरटीआई आवेदन/सीपीग्राम्स को स्वीकार नहीं करेगा।

IV. <u>चिकित्सा परीक्षा:</u>

शा.मा.प/शा.द.प. में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पूल में से अभ्यर्थियों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए चयनित किया जाएगा। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों की पुष्टि की जाएगी:

(i) आयु, नाम और शैक्षिक योग्यता की पुष्टि के लिए मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र।

(ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र/ स्थायी निवास प्रमाणपत्र।

(iii) नोटिस के अनुबंध- IV में निर्धारित प्रारूप में कार्यरत रक्षा कर्मियों से प्रमाणपत्र।

(iv) भूतपूर्व सैनिकों से सशस्त्र बलों में अपना कार्यकाल पूरा करने के संबंध में अनुबंध-V के अनुसार निर्धारित प्रारूप में वचनपत्र।

(v) आरक्षण/आयु में छूट मांगने वाले अभ्यर्थियों को इस विज्ञप्ति के अनुबंध-VI और VII के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाणपत्र।

(vi) इस विज्ञप्ति के अनुबंध- VIII के अनुसार निर्धारित प्रारूप में ऊंचाई/सीने की माप से संबंधित छूट का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों से प्रमाणपत्र।

(vii) इस विज्ञप्ति के पैरा-4 (ख) के तहत श्रेणी (04/05/06) में वर्णित दंगा पीड़ितों के आश्रित आवेदकों के संबंध में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाणपत्र ।

(viii) पाकिस्तानी शरणार्थियों से इस विज्ञप्ति के अनुबंध-XIV के अनुसार निर्धारित प्रारूप में मूल निवास स्थान/पहचान प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र।

चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सा फिटनेस का आकलन करने के लिए के.स.पु.ब. द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा जांच की जाएगी :

क. दृष्टि:

दृष्टि तीव्रता बिना चश्में के (निकट दृष्टि)		असंशोधित दृष्टि तीव्रता (दूर दृष्टि)		अपवर्तन	रंग संबंधी दृष्टि	अभ्युक्ति
बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि			
एन 6	एन 9	6/6	6/9	किसी भी प्रकार से दृष्टि सुधार की अनुमति नहीं है चाहे वह चश्मे से ही क्यों न हो।	आईएसआईएचएआरए द्वारा सीपी-III	दाहिने हाथ से कार्य करने वाले व्यक्ति में दायीं आंख और इसके विलोमत: बेहतर होती है; - द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित होती है।

ख. चिकिसा जांच संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश:

(1) चिकित्सा मानकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चिकित्सा जांच में स्वस्थ पाए गए अभ्यर्थियों को ही कें.स.पु.ब. में प्रवेश दिया जाए।

(2) अभ्यर्थियों की 'कें.स.पु.ब. और असम राइफल्स में भर्ती चिकित्सा परीक्षा के लिए दिशा-निर्देश और गृह मंत्रालय के अशा. सं. ए-VI1/2014/भर्ती (एसएसबी), दिनांकित 20.05.2015 और तत्पश्चात यथा संशोधित पत्रों में दी गयी शर्तों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा की जाएगी।

(3) किसी भी स्तर पर चिकित्सा परीक्षा से गुजरने से इंकार करने या अनुपस्थित रहने/उसे स्वयं छोड़ने पर अभ्यर्थी अनफिट कर दिया जाएगा।

(4) अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षा के दौरान एक प्रपत्र दिया जाएगा, जिसमें उसे उस पूर्व बीमारी, यदि कोई है, के बारे में और उससे संबंधित ली गयी चिकित्सा के बारे में घोषणा करनी होगी जिसके साक्ष्य चिकित्सा परीक्षा के दौरान तत्काल विद्यमान न हों। यदि बाद में सेवा के दौरान किसी भी स्तर पर यह पता लगता है कि घोषणा झूठी थी, अभ्यर्थी के विरूद्ध सेवा की समाप्ति सहित अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

(5) चिकित्सा परीक्षा के कुछ चरणों में पुरुष अभ्यर्थियों की नग्न रूप में जांच की जा सकती है। जब तक जननांग और मूलाधार (पेरिनेम) की जांच की जा रही हो, तब तक कमर तक के कपड़े पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अन्यथा कमर तक के कपड़े पहने जा सकते हैं।

(6) चिकित्सा परीक्षा के दिन ऊंचाई और आयु चार्ट के आधार पर तथा शा.म.प./शा.क्ष.प. बोर्ड द्वारा मापी गयी ऊंचाई एवं उससे संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, वजन से संबंधित स्वस्थता/अस्वस्थता के संबंध में अंतिम निर्णय चिकित्सीय परीक्षा के दौरान चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(7) चिकित्सा परीक्षा के तहत सभी अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल टेस्ट (एक्स रे) चेस्ट-पीए व्यू, हेमोग्लिबिन, मूत्र रूटीन/माइक्रोस्कोपिक जांच जरूरी है।

(8) सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए: चिकित्सा परीक्षा के मामले में,"अस्थायी अस्वस्थता की अनुमति नहीं दी जाएगी", तथापि, ऐसी कोई भी महिला अभ्यर्थी जो मेडिकल जांच के दौरान बारह सप्ताह या उससे अधिक अवधि की गर्भवती पायी जाती है, उसे "अस्थायी अनुपयुक्त" घोषित किया जाएगा और प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से गर्भावस्था समाप्त हो जाने के छह सप्ताह बाद, पंजीकृत चिकित्साकर्मी द्वारा स्वस्थता संबंधी चिकित्सा प्रमाणपत्र नोडल सीएपीएफ को उपलब्ध कराए जाने के अध्यधीन उसकी फिर से चिकित्सा परीक्षा की जाएगी।

(9) **टैटू** की अनुमति निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड तय किए गए हैं:

(क) **सामग्री:** धार्मिक प्रतीक या चित्र और नाम का चित्रण करने वाले टैटू, जैसा कि भारतीय सेना में पालन किया जाता है, अनुमत्य हैं।

(ख) **स्थान** : शरीर के पारंपरिक अंगो पर बने टैटू अनुमत्य हैं, जैसे- बाजू के अग्रभाग पर भीतरी ओर, परन्तु केवल बांयी बाजू पर, क्योंकि इससे सैल्यूट नहीं दिया जाता और यह हाथ का पृष्ठ भाग है।

(ग) **आकार** : शरीर के उस विशेष भाग (कोहनी या हाथ) से ¼ भाग से कम हो।

टिप्पणी: शरीर को गोदने (टेटू) की नीति में यदि कोई संशोधन किया जाता है और यदि यह संशोधन विस्तृत चिकित्सा परीक्षा की तारीख से पूर्व किया जाता है तो वह इस भर्ती परीक्षा के लिए लागू होगा।

(10) शल्य चिकित्सा के बाद के मामलों के लिए फिटनेस की अवधि । यदि किसी अभ्यर्थी की चिकित्सा परीक्षा से पूर्व शल्य चिकित्सा की गई है और वह केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा

आयोजित की जाने वाली चिकित्सा परीक्षा के लिए आता है, तो चिकित्सा परीक्षा (विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा, जैसी भी स्थिति हो) के समय फिटनेस प्राप्त करने के लिए शल्य चिकित्सा के पश्चात नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार न्यूनतम समयावधि पूरे किए जाने पर विचार किया जाएगाः

(क) शरीर के बाह्य भाग में सूजन, डी एन एस, टोंसिल्लेक्टॉमी और नाक की पॉलिपेक्टॉमीः एक माह

(ख) हाइड्रोसीलः तीन माह

(ग) टिमपेनोप्लास्टीः चार माह

(घ) पेट/पेल्विक शल्य चिकित्सा जिसमें पेरिटोनियम को खोलना, हरनिया का इलाज, वेरिकोसिल शल्य चिकित्साएं, एनों में फिस्टुला के लिए शल्य चिकित्सा, इत्यादि शामिल हैं : छह माह

(ङ) उपरोक्त समयावधि के बारे में केवल चिकित्सा परीक्षा के समय विचार किया जाएगा और चिकित्सा परीक्षा के लिए नियत तारीख के बाद इस बारे में विचार नहीं किया जाएगा ।

(च) विस्तृत चिकित्सा परीक्षा और पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा की अवधि के बीच अनफिटनेस के सुधारात्मक उपाय के लिए कराई गई किसी शल्य चिकित्सा को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को 'अनफिट' माना जाएगा ।

(11) अभ्यर्थी के भीतर मुड़े हुए घुटने, चपटा पैर, स्फीत नस अथवा आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए ।

(12) रक्त चाप की जांच (सामान्य सीमाः सिस्टोलिक 100-140 एम एम ऑफ एच जी , डायस्टोलिक 60 से 90 एम एम ऑफ एच जी)

(13) हीमोग्लोबिन (सामान्य सीमाः पुरुष के लिए 12-16 जी /डी एल, महिला के लिए 10-14 जी / डी एल).18 जी/डी एल से अधिक हीमोग्लोबिन वाले अभ्यर्थियों को अनफिट माना जाएगा । 12 जी/डी एल से कम हीमोग्लोबिन वाले पुरुष अभ्यर्थियों और 10 जी/डी एल से कम हीमोग्लोबिन वाले महिला अभ्यर्थियों को अनफिट माना जाएगा ।

ग चिकित्सा परीक्षा के दौरान अनफिट घोषित करने के सामान्य कारणः

नीचे यथा-उल्लिखित किसी रोग/विकृति से ग्रस्त अभ्यर्थियों को अनफिट माना जाएगा । इसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैः-

(i) तपेदिक, आतशक अथवा अन्य यौन रोग, गठिया/ किसी प्रकार की जोड़ो की सूजन, उच्च रक्त-चाप इत्यादि जैसे किसी पुराने रोग के लक्षण।

(ii) श्वसनी अथवा कण्ठय रोग जैसे दमा, दीर्घकालिक तुंडिका-शोथ और गिल्टी इत्यादि।

(iii) वैल्व्यूलर अथवा ह्रदय के किसी रोग के लक्षण।

(iv) शरीर के सामान्य रूप से गठन में विकृति जो कि दक्षता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने/ कर्तव्यों के निर्वहन में बाधक हो।

(v) दृष्टि का निम्न स्तर।

(vi) भेंगापन की कोई स्थिति।

(vii) कर्णशोथ मीडिया।

(viii) बधिरता, क्षीण श्रवण की कोई स्थिति।

(ix) हकलापन, जैसा कि बाद में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(x) दांतों का टूटना/खराब होना, जिसके परिणामस्वरूप नीचे के दंत-बिंदुओं में कमी हो गयी है।

(xi) अर्ध अथवा पूर्ण कृत्रिम दंतावली पहनना ।

(xii) सीने का संकुचन अथवा विकृति तथा जोड़ों की विकृति।

(xiii) पीठ में असामान्य झुकाव (सही स्वरूप, उदाहरणतः कूबड़, मेरूदंड की पार्श्व कुब्जता, अग्रकुब्जता इत्यादि को विनिर्दिष्ट किया जाए)।

(xiv) असामान्य चलने का ढंग।

(xv) कान की मैल।

(xvi) विपथित नासिका झिल्ली।

(xvii) सामान्य से छोटा सीना।

(xviii) बवासीर।

(xix) तुण्डिका-शोथ।

(xx) असामान्य रक्तचाप।

(xxi) अधिक वजन/कम वजन

(xxii) अंतःस्त्रावीय विकार।

(xxiii) मानसिक अथवा स्नायु संबंधी अस्थिरता। स्नायु संबंधी अस्थिरता के प्रमाण।

(xxiv) मंदबुद्धि।

(xxv) किसी भी प्रकार की हरनिया।

(xxvi) स्थायी त्वचा रोग जैसे प्राथमिक श्वित्र, कुष्ठ रोग, एसएलई, खाज, स्थायी एक्सटेंसिव, कवक त्वचा-शोथ इत्यादि।

(xxvii) कोई जन्मजात अपसामान्यता, जोकि दक्षतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने/कर्तव्यों के निर्वहन में बाधक हो।

(xxviii) गुदा फिस्टुला, बवासीर तथा अन्य गुदा एवं मलाशय संबंधी रोग जैसाकि बाद में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(xxix) पैरों की विकृति जैसे चपटा पैर, मुदगर पाद, पादतल मस्से इत्यादि।

(xxx) मिरगी।

(xxxi) अक्षिदोलन/प्रोग्रेसिव टेरिजियम

(xxxii) हाइड्रोसीड/फिमोसिस।

(xxxiii) क्यूबीटसवेरस/ संहतजानु।

(xxxiv) हाथों/पैरों के पॉली डेक्टिल।

(xxxv) अनडिसेंडिड वृषण, अट्रोफिक वृषण, मार्क्ड वेरिकोसिल, वृषण सूजन।

(xxxvi) स्फीत नसें, स्फीत नसों के मामले, यद्यपि शल्य चिकित्सा करवा ली गयी है, फिर भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मूल कमी में कोई बदलाव नहीं होता।

(xxxvii) शरीर में कहीं भी यथा-स्थान इम्प्लांट का कोई प्रमाण मिलने पर अयोग्य माना जाएगा ।

(xxxviii) महिलाओं में 20 डिग्री से अधिक वहनकोण होने पर क्यूबिटस वेल्गस के आधार पर उन्हें अयोग्य कर दिया जाएगा।

(xxxix) गाइनेकोमेस्टिया।

(xl) किसी भी अविवाहित अभ्यर्थी की पर-स्पेक्युलम और पर-योनि संबंधी जांच न की जाए, तथापि किसी प्रत्यक्ष रोग निदान की संभावना को खत्म करने के लिए जननांगों का निरीक्षण किया जाए।

(xli) जननांग की बड़ी अपसामान्यताओं अथवा कमियों के प्रमाण जैसे लिंग में परिवर्तन, उभयलिंगिता, कृत्रिम उभय लिंगिता अथवा गोनाडल डिसजेनेसिस अथवा दुष्क्रियाशील अंग अवशिष्ट, यहां तक कि शल्य चिकित्सीय सुधार के बाद भी ये स्थितियां अनर्हक हैं।

(xlii) यदि गर्भावस्था के लिए मूत्र जांच का परिणाम पॉजिटिव पाया जाता है तो अभ्यर्थी को अस्थायी रूप से अनफिट घोषित किया जाएगा और या तो स्वाभाविक रूप से अथवा कृत्रिम रूप से गर्भावस्था के समाप्त होने के छह सप्ताह बाद किसी पंजीकृत चिकित्साकर्मी से स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन पुनः चिकित्सा जांच की जाएगी।

(xliii) डिम्बग्रंथि पुटी अथवा फाइब्रॉइड गर्भाशय अथवा किसी अन्य गांठ का प्रमाण अनर्हक है।

(xliv) पेडू के सूजन संबंधी रोग का प्रमाण अनर्हक है।

(xlv) गर्भाशय का जन्मजात न होना अथवा किसी कारणवश गर्भाशय का विवर्धन अनर्हक है।

(xlvi) मेरुदंड अथवा सैकरो श्रोणीय जोड़ो में बाह्य लक्षणों के बिना अथवा लक्षणों सहित रोगों अथवा चोट का पूर्व चिकित्सा इतिहास जिसने अभ्यर्थी को वास्तविक सक्रिय जीवन जीने से वंचित रखा है।

(xlvii) रीढ़ की हड्डी टूटने/अंतराकशेरूक डिस्क के खिसकने और शल्य चिकित्सा उपचार का इतिहास।

(xlviii) चिकित्सा परीक्षा के दौरान विकिरण-चिकित्सा-विज्ञान द्वारा पता लगायी गयी निम्नलिखित स्थितियां:

(क) मेरूदंड का ग्रेन्यूलोमाटस रोग

(ख) गठिया/स्पोंडिलोसिस

(i) संधिवात गठिया और संबद्ध विकार

(ii) संधि-काठिन्य स्पोंडिलोसिस

(iii) अस्थि संधिशोथ, स्पोंडिलोसिस और अपकर्षक जोड़ रोग

(iv) गैर-संधायी गठिया (उदाहरणतः रोटेटर कफ के घाव, टेनिस एल्बो, बार-बार होने वाले कटिवात इत्यादि।

(v) एसएलई, पॉलीमायोसिटिस, वाहिकाशोथ सहित विविध विकार।

(ग) स्पोंडिलोलिस्थीसिस /स्पोंडिलोलिसिस

(घ) कशेरुक का संपीड़न अस्थि-भंग

(ङ) स्क्यूरमेन्स रोग (किशोरकालीन कूबड़)

(च) ग्रीवा की क्षति, जब यह ग्रीवा मेरूदंड के नैदानिक सीमित संचलनों से संबद्ध हो।

(छ) स्पष्ट रूप से तंत्रिका संबंधी अथवा परिसंचारी कमी सहित एक तरफ के/दोनों तरफ के ग्रीवा रिब्स

(ज) कॉब की विधि से मापी गई 15 डिग्री से अधिक मेरूदंड की पार्श्वकुब्जता।

(झ) अपक्षयी डिस्क डिस्केस।

(ञ) एक से अधिक स्तर पर स्कमॉर्ल गांठों की उपस्थिति।

(ट) एटलांटो-ऑकिपिटल और एटलांटो एक्सियल असंगतियां

(ठ) ग्रीवा, पृष्ठ अथवा कटि मेरूदंड में किसी स्तर पर अर्ध-कशेरूक और/अथवा अपूर्ण ब्लॉक (फ्यूज्ड) कशेरूक और ग्रीवा अथवा पृष्ठ मेरुदंड में एक से अधिक स्तर पर पूर्ण ब्लॉक (फ्यूज्ड) कशेरूक।

(ड) सभी स्तरों पर एक तरफ सेकरालाइजेसन अथवा लंबारीजेसन (पूर्ण अथवा अपूर्ण) और दोनो ओर अपूर्ण सेकरालाइजेसन अथवा लंबारीजेसन।

(ढ) कोई अन्य अपसामान्यता यदि विशेषज्ञ द्वारा ऐसा माना गया है।

(ण) हल्का कूबड़ अथवा अग्रकुब्जता, जहां विकृति नाममात्र की दिखती है तथा इससे कोई पीड़ा अथवा संचलन संबंधी कोई रूकावट नहीं है, यह स्वीकरण में बाधक नहीं होगा।

(त) ध्यान देने योग्य मेरुदंड की पार्श्वकुब्जता अथवा किसी अन्य अपसामान्यता का संदेह अथवा मेरुदंडीय विकृति जो कि हल्के से अधिक है, की स्थिति में, मेरूदंड के यथोचित एक्स-रे लिए जाएं तथा परीक्षार्थी को विशेषज्ञ की सलाह के लिए भेजा जाए।

(थ) एक्स-रे जांच के दौरान पाई गई निम्नलिखित स्थितियां अनर्हक होंगीः

(i) मेरुदंड का ग्रेन्यूलोमाटस रोग

(ii) गठिया/स्पोंडिलोसिस

(iii) कॉब की विधि से मापी गई 15 डिग्री से अधिक मेरूदंड की पार्श्वकुब्जता।

(iv) हल्के से अधिक कूबड़/अग्रकुब्जता।

(v) स्पोंडिलोलिस्थीसिस/ स्पोंडिलोसिस

(vi) हर्नियाटेड न्यूक्लीयस पल्पोसिस

(vii) कशेरुक का संपीड़न अस्थिभंग

(viii) सेकरालाइजेसन रोग

(ix) स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर तंत्रिका संबंधी अथवा परिसंचारी कमी सहित ग्रीवा रिब्स

(x) एक से अधिक स्तर पर स्कमॉर्ल गांठों की उपस्थिति

(xi) एटलांटो-ऑकिपिटल और एटलांटो एक्सियल असंगतियां

(xii) एक तरफ अथवा दोनों तरफ अपूर्ण सेकरालाइजेसन

(xiii) एसवी 1 और एलवी 5 के अलावा स्पाइनाबाइफिडा, यदि यह पूर्णत: सेकरालाइज्ड है।

(xiv) कोई अन्य अपसामान्यता, यदि विशेषज्ञ द्वारा ऐसा माना गया है।

(द) अभ्यर्थी का किसी मानसिक बीमारी अथवा दौरे पड़ने का कोई विगत इतिहास नहीं होना चाहिए।

(ध) अभ्यर्थी की श्रवण शक्ति सामान्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी एक शांत कमरे मे 610 सेमी. की दूरी से, प्रत्येक कान से बलकृत फुसफुसाहट को सुनने में समर्थ होना चाहिए। कान, नाक और गले के किसी वर्तमान अथवा विगत रोग का कोई प्रमाण नहीं होना चाहिए। ए एफ के लिए ऑडियोमैट्रिक जांच की जाएगी। 250 हर्ट्ज और 4000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसियों की बीच ऑडियोमैट्रिक क्षति +20 डीबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। वाक शक्ति में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

(न) ह्रदय और रक्त वाहिकाओं के किसी कार्यात्मक अथवा आंगिक रोग के कोई लक्षण नहीं होने चाहिए। रक्त चाप सामान्य होना चाहिए।

(प) यकृत अथवा तिल्ली का विवर्धन नहीं होना चाहिए। उदर के आन्तरिक अंगों के रोग का कोई भी प्रमाण अस्वीकृति का कारण होगा।

(फ) शल्य क्रिया न की गई हर्निया से अभ्यर्थी को अनफिट माना जाएगा। हर्निया के मामले में, कोर्स के आरंभ होने से पूर्व, अंतिम चिकित्सा परीक्षा से पहले शल्य क्रिया किए हुए, न्यूनतम छह माह की अवधि अवश्य व्यतीत हो गयी हो।

(ब) हाइड्रोसील, वेरिकोसिल अथवा बवासीर नहीं होनी चाहिए।

(भ) संस्पर्श लेन्स पहनना अथवा लेसिक (LASIK) अथवा किसी अन्य प्रकार की नेत्र शल्य चिकित्सा करवाना

(म) मूत्र की जांच की जाएगी तथा जांच में पाई गई कोई अपसामान्यता अस्वीकृति का कारण होगी।

(य) त्वचा का कोई रोग जिससे दिव्यांगता अथवा विरूपता होने की संभावना हो, अस्वीकृति का कारण होगा।

घ. अभ्यर्थियों को उच्च तुंगता सहित सभी स्थानों में ड्यूटी करने के लिए मानसिक तथा शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए और वे चरम जलवायु वाली स्थितियों सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य करने के लिए योग्य हों तथा उन्हें उन सभी कमियों से मुक्त होना चाहिए, जिनसे कर्तव्यों के दक्षता पूर्वक निष्पादन में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो । उपरोक्त अनुदेश संपूर्ण नहीं हैं । भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-जारी शेष अनुदेश भी लागू होंगे।

ङ. <u>पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा (आर.एम.ई):</u> सामान्यतः भर्ती करने वाले चिकित्सा अधिकारी अथवा प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के निष्कर्षों के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं है । यदि, प्रारंभिक चिकित्सा बोर्ड/भर्ती करने वाले चिकित्सा अधिकारी, जिसने अभ्यर्थी की पहली बार चिकित्सा जांच अर्थात विस्तृत चिकित्सा जांच की थी, के निर्णय में किसी त्रुटि की संभावना के बारे में अभ्यर्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में कोई चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो अपील को स्वीकार किया जा सकता है। ऐसे चिकित्सा प्रमाणपत्र के बारे में तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस प्रमाणपत्र पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद/राज्य आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या सहित सरकारी जिला अस्पताल अथवा उससे उच्च अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय की टिप्पणी अन्तर्विष्ट न की गई हो कि यह प्रमाणपत्र इस तथ्य की पूर्ण जानकारी के साथ दिया गया है कि अभ्यर्थी को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा बोर्ड अथवा भर्ती करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा पहले ही अस्वीकार किया जा चुका है और सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है । यदि अभ्यर्थी की अपील को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल अपील प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो के.स.पु.ब. पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा बोर्ड द्वारा उसकी पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा आयोजित की जाएगी । के.स.पु.ब. के पुनर्विचार चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। द्वितीय चिकित्सा अर्थात पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा के निष्कर्षों के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी ।

10. परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा अनुपालन किये जाने वाले सामान्य अनुदेशः

(i) अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति में यथा-विनिर्दिष्ट उपकरणों के अलावा कैलकुलेटर्स तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अतः वे परीक्षा हॉल/लैब के अन्दर इन उपकरणों को न लाएं ।

(ii) परीक्षा हॉल के अंदर किसी अभ्यर्थी के पास मोबाइल फोन अथवा बेतार संचार के कोई अन्य साधन पाए जाते हैं चाहे वे उपयोग में हों अथवा बंद हों, तो उसकी अभ्यर्थिता को

सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा । अभ्यर्थी को, आयोग की वर्तमान नीति के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित किसी अन्य परीक्षा में बैठने से वारित कर दिया जाएगा।

(iii) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के दौरान, कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिए गए अनुदेशों का अनुसरण किया जाए।

(iv) अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन और भर्ती के अन्य चरणों के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से बचना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन में बाधा उत्पन्न करता हुआ अथवा परीक्षा केन्द्र पर उपद्रव करता हुआ पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को आयोग की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से भी वारित किया जा सकता है और उसके विरुद्ध कानूनी/आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।

11. <u>चयन का तरीका:</u>

(i) इस भर्ती प्रक्रिया में कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.ई.), शारीरिक दक्षता परीक्षा (शा.द.प.), शारीरिक मापदंड परीक्षा (शा.मा.प.) और चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी।

(ii) उन सभी अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिनके ऑनलाइन आवेदन सही पाए जाते हैं। आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए केवल कम्प्यूटर आधारित पद्धति में ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्रों को कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

(iii) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा केवल **अंग्रेजी और हिन्दी** में आयोजित की जाएगी।

(iv) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में योग्यता के आधार पर शा.द.प./शा.मा.प. के लिए छांटे गए अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से लगभग 10 गुणा होगी।

(v) केवल वे अभ्यर्थी, जो शा.द.प./शा.मा.प. में अर्हता प्राप्त करते हैं और जिन्हें आयोग द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है तथा जिनके दस्तावेजों को सही पाया गया है, को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में शामिल होना होगा। यह विस्तृत चिकित्सा परीक्षा अपर महानिदेशक (चिकित्सा), के.स.पु.ब. द्वारा दिनांक 20.5.2015 को भर्ती चिकित्सा परीक्षा के लिए जारी संशोधित एक समान दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन यह अर्हक प्रकृति की है।

(vi) अभ्यर्थियों से अपेक्षित पात्रता प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का संग्रहण तथा मूल दस्तावेजों के साथ उनका सत्यापन कें.स.पु.बलों द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डी.एम.ई.) के समय किया जाएगा।

(vii) शा.द.प./शा.मा.प. और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्रों को के.रि.पु.ब. की वेबसाइट **http://www.crpf.gov.in** पर अपलोड किया जाएगा। शा.द.प./शा.मा.प. तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा का आयोजन के.रि.पु.ब. द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा किया जाएगा।

(viii) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में निम्नलिखित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/संगठनों की वरीयता को **अग्रता के क्रम में** दे सकते हैं। सभी आठ वरीयताओं को भरना अनिवार्य होगा:

(क) सीमा सुरक्षा बल (ए)

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (बी)

(ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी)

(घ) सशस्त्र सीमा बल (डी)

(ङ) भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ई)

(च) असम राइफल्स (एफ)

(छ) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (जी)

(ज) सचिवालय सुरक्षा बल (एच)

(ix) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंको के आधार पर, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रत्येक श्रेणी अर्थात अनारक्षित, अजा, अजजा, अपिव और भूपूसै श्रेणी में पुरूष तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग बल आबंटन के साथ अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा तथा उसके बाद सीमावर्ती और आतंकवाद/नक्सलवाद प्रभावित जिलों, जहां कहीं लागू है, की श्रेणी को चिन्हित किया जाएगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और सचिवालय सुरक्षा बल के लिए अभ्यर्थियों का चयन अखिल भारतीय आधार पर किया जाएगा।

(x) अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/संगठनों का आबंटन 'कंप्यूटर आधारित परीक्षा में योग्यता'-सह-'अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदनों में उनके द्वारा दी गयी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/संगठनों की वरीयता' के आधार पर किया जाएगा। **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अग्रता के क्रम में बलों/संगठनों की वरीयताओं को देते समय अत्यधिक सावधान रहें तथा इन्हें सतर्कतापूर्वक भरें। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात, आयोग द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में वरीयता में परिवर्तन के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

(xi) अभ्यर्थियों के नाम पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा तथा उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय संगत अधिवास प्रमाणपत्र

के उत्तरवर्ती प्रस्तुतीकरण के आधार पर सीमावर्ती जिलों, आतंकवाद/नक्सलवाद प्रभावित जिलों की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा। **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अधिवास राज्य और जिले के बारे में सूचना उपलब्ध करते समय अत्यधिक सावधान रहें तथा यह सूचना सतर्कता पूर्वक भरें । ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् आयोग द्वारा किन्ही भी परिस्थितियों में, अधिवास राज्य और जिले में परिवर्तन के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा । यदि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित जिला और/अथवा राज्य और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय उसके द्वारा प्रस्तुत अधिवास प्रमाणपत्र में कोई भिन्नता है तो उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसे विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

(xii) चयन के लिए पात्रता हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अंकों की कटऑफ निम्नानुसार होगी:-

(क) सामान्य और भूतपूर्व सैनिक : 35%

(ख) अजा/अजजा/अपिव : 33%

(xiii) अजा, अजजा, अपिव और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों में सहयोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

(xiv) अजा, अजजा, अपिव तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए निर्धारित मानकों की अपेक्षा मानकों अर्थात आयु सीमा, ऊँचाई तथा सीने की माप, अनुभव अथवा योग्यता, अवसरों की अनुमत्य संख्या में छूट तथा विस्तारित एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, तो उनके योग्यता क्रम पर ध्यान दिए बिना, ऐसे अजा, अजजा, अपिव तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों की आरक्षित रिक्तियों में गणना की जाए। जहां तक कि भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों का संबंध है भूतपूर्व सैनिक की आयु में से उसके द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा की अवधि की कटौती आरक्षित तथा अनारक्षित पदों के लिए अनुज्ञेय है तथा आयु के संबंध में प्रदान की गई इस छूट को मानकों में छूट के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता ।

(xv) यदि कोई जिला सीमावर्ती क्षेत्र के साथ साथ नक्सलवाद/आंतकवाद प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत है तो रिक्तियों को पहले सीमावर्ती क्षेत्र तथा उसके बाद नक्सलवाद/आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र के क्रम में भरा जाएगा।

टिप्पणी- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं । परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनन्तिम होगा, बशर्ते वे पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करते हों । यदि किसी भी समय कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शा.द.प./शा.मा.प. और चिकित्सा परीक्षा से पहले अथवा बाद में और साथ-साथ नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करने अथवा बल/संगठन में ज्वाइन करने के बाद जाँच करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग/के.स.पु.बलों द्वारा उनकी अभ्यर्थिता/पद के लिए चयन को निरस्त कर दिया जाएगा ।

12. <u>बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा</u>

कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में बराबरी होने की स्थिति में, ऐसे मामलों का निपटारा एक के बाद एक निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके किया जाएगा, जब तक कि बराबरी का निपटारा नहीं हो जाता :

(क) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुल प्राप्तांक।
(ख) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-क में प्राप्तांक।
(ग) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-ख में प्राप्तांक।
(घ) जन्म तिथि, अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है ।
(ङ) नामों का वर्णानुक्रम (पहले नाम से शुरू)

13. **भर्ती में प्रवेशः**

सभी अभ्यर्थी, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय तक स्वयं को पंजीकृत करते हैं तथा जिनके आवेदन सही पाए जाते हैं और परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई निबंधन और शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा जिन अभ्यर्थियों के आवेदन को अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किया जाएगा, जिसकी सूचना अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.ई) के लिए बुलाते समय दी जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के कार्यक्रम का निर्धारण एवं आयोजन आयोग द्वारा किया जाएगा।

शा.द.प./शा.मा.प. तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र/प्रवेशपत्र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा केवल ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से जारी किए जाएंगे। शा.द.प./ शा.मा.प. और चिकित्सा परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम शा.द.प./शा.मा.प. अथवा चिकित्सा परीक्षा से कम से कम दो सप्ताह पहले के.रि.पु.ब. की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी अपने प्रवेशपत्रों को के.रि.पु.ब. की वेबसाइटः http://www.crpf.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में किसी भी नवीनतम जानकारी को प्राप्त करने के लिए वे कर्मचारी चयन

आयोग(मु.), कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की वेबसाइटों को नियमित रूप से देखते रहें।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की वेबसाइट से शा.द.प./शा.मा.प. तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/ पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्रों को डाउनलोड न कर पाने की स्थिति में, अभ्यर्थियों को शा.द.प./शा.मा.प. अथवा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा से कम से कम एक सप्ताह पूर्व, के.रि.पु.ब. के साथ सम्पर्क करना चाहिए। शा.द.प./शा.मा.प. तथा चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्रों के न मिलने की स्थिति में, अभ्यर्थी के.रि.पु.ब. की भर्ती हेल्पलाइन संख्या 011-24368630 के साथ सम्पर्क कर सकते हैं ।

आयोग/के.रि.पु.ब. से किसी प्रकार का पत्राचार करते समय अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि तथा परीक्षा के नाम सहित अपना अनुक्रमांक, पंजीकरण आई.डी. अवश्य लिखें। ये विवरण न देने वाले अभ्यर्थी के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र (प्र.प) को आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा । **परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे ।** परीक्षा के बारे में सूचनाएं जिसमें परीक्षा की समय सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा का शहर/केन्द्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक आयोग की वेबसाइट पर अपना ब्यौरा नहीं मिलता है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व उपलब्ध होगी । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बुलावा पत्रों के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें।

टिप्पणी-I: अभ्यर्थी शा.द.प./शा.मा.प., विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा केन्द्र/ स्थल में पहचान प्रमाण पत्र के रूप में कम से कम एक फोटो लगा हुआ पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, आयकर पेन कार्ड मूल रूप में जरूर लाएं, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-II: अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शा.द.प./शा.मा.प. और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा, यदि अपेक्षित है, के समय पदाधिकारियों/निरीक्षकों की उपस्थिति में प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति में चिपकाने के लिए पासपोर्ट आकार के दो(2)

नवीनतम फोटोग्राफ अपने साथ अवश्य लाने चाहिए। जिन अभ्यर्थियों के पास फोटोग्राफ नहीं होंगे, उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उसी फोटोग्राफ, जिसे ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपलोड किया गया था, की पर्याप्त प्रतियां पहचान की सुविधा को आसान बनाने के लिए परीक्षा की समस्त प्रक्रिया पूरी होने तक अपने पास रखें।

14. आयोग का निर्णय अंतिम :

पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन तथा योग्यता सूची तैयार करने और बल आबंटन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

15. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिस स्थान के न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है ।

16. कदाचारों के लिए अभ्यर्थियों पर शास्ति लगाना/उन्हें वारित करना

यदि अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन के दौरान किसी भी स्तर पर नीचे सूचीबद्ध किसी कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा तथा उन्हें आयोग की परीक्षाओं से, नीचे उल्लिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम संख्या	कदाचार का प्रकार	वारित करने की अवधि
1.	परीक्षा भवन से किसी परीक्षा संबंधित सामग्री जैसे ओ. एम.आर.शीट, रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर पुस्तिका इत्यादि को ले जाना अथवा परीक्षा के आयोजन के दौरान इसे अनधिकृत व्यक्तियों को देना।	2 वर्ष
2.	परीक्षा पदाधिकारियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के प्रतिनिधियों इत्यादि को किसी भी तरीके से डराना, धमकाना अथवा उनके साथ दुर्व्यवहार करना ।	03 वर्ष
3.	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुँचाना/अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए भड़काना ।	03 वर्ष
4.	ऐसे वक्तव्य देना जो कि गलत अथवा झूठे हैं, महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना, जाली दस्तावेजों को प्रस्तुत करना इत्यादि।	03 वर्ष

5.	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी नियम विरूद्ध अथवा अनुचित उपाय द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहायता प्राप्त करना/दबाव डालना ।	03 वर्ष
6.	"स्विच ऑन" अथवा "स्विच ऑफ" स्थिति में मोबाइल फोन अपने पास रखना।	03 वर्ष
7.	नियमों का उल्लंघन करते हुए एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	03 वर्ष
8.	वह अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा से संबंधित कार्य भी कर रहा हो।	03 वर्ष
9.	परीक्षा से संबंधित आधारिक संरचना/उपस्करों को क्षतिग्रस्त करना।	05 वर्ष
10.	जाली प्रवेश पत्र, पहचान प्रमाण इत्यादि के साथ परीक्षा में बैठना ।	05 वर्ष
11.	परीक्षा के दौरान अग्नि-शस्त्रों/हथियारों को अपने पास रखना ।	05 वर्ष
12.	परीक्षा पदाधिकारियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के प्रतिनिधियों इत्यादि के साथ किसी भी तरीके से मार-पीट करना, बल प्रयोग करना, शारीरिक चोट पहुँचाना ।	07 वर्ष
13.	परीक्षा पदाधिकारियों को हथियारों/अग्नि शस्त्रों से डराना/धमकाना ।	07 वर्ष
14.	परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों का उपयोग करना अर्थात अनधिकृत स्रोतों जैसे कि किसी कागज अथवा शरीर के अंगों इत्यादि पर लिखित सामग्री से नकल करना ।	07 वर्ष
15.	परीक्षा हॉल में ब्लुटुथ यंत्रों, स्पाई कैमरे तथा किन्हीं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपने पास रखना ।	07 वर्ष
16.	छद्मवेषण करना/किसी व्यक्ति द्वारा छद्मवेषण करवाना	07 वर्ष
17.	प्रश्नपत्रों अथवा परीक्षा सामग्री के स्नैपशॉट लेना तथा वीडियो बनाना, परीक्षा प्रयोगशालाओं के वीडियो बनाना इत्यादि ।	07 वर्ष
18.	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयरों/एप्लिकेशनों/एल.ए.एन./ वी.ए.एन. इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनल को सांझा करना।	07 वर्ष
19.	परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान अथवा परीक्षा के पश्चात किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा और परीक्षा प्रणालियों को हैक करने अथवा उसमें हेरफेर करने का प्रयास करना ।	07 वर्ष

17. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

1. आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है ।

2. मैट्रिकुलेशन या 10 वीं कक्षा पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। इस भर्ती में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (क.आ.प), शारीरिक दक्षता परीक्षा (शा.द.प.)/शारीरिक मापदंड परीक्षा (शा.मा.प.) और चिकित्सा परीक्षा शामिल है । महिला अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न सशस्त्र पुलिस बलों में निर्धारित पदों के लिए ही उनके नाम पर विचार किया जाएगा। जो अभ्यर्थी 01.08.2018 को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरा नहीं करते हैं, वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।

3. अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रह और उनका सत्यापन के.स.पु.बल द्वारा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के समय किया जाएगा। अतः अभ्यर्थिता को केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले सलाह दी जाती है कि वे शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानकों इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करें और स्वयं संतुष्ट हो कि वे पदों के लिए पात्र हैं। जब विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के दौरान दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी, तब आवेदन में किए गए किसी भी दावे को प्रमाणित नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थियों को स.पु.बल द्वारा सीधे निरस्त कर दिया जाएगा।

4. इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/ भूपूसै के रूप में आरक्षण का लाभ उठाने या इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार कोई अन्य छूट के इच्छुक अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस तरह के आरक्षण / छूट के हकदार हैं । विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के दौरान प्रमाणपत्र की प्रतियां मांगे जाने पर उनके पास भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में संबंधित प्रमाणपत्र होना चाहिए ।

5. **अजा, अजजा अथवा अपीव श्रेणी की जाति से संबंधित अभ्यर्थी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासन करते हैं, जहां अभ्यर्थियों की जाति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों को एक सूचित विकल्प देना होगा कि क्या वे मूल राज्य के आरक्षण का लाभ उठाना चाहते है या नहीं या प्रवासी राज्य से अनारक्षित उम्मीदवार के रूप में परीक्षा में बैठना चाहते है । इस तरह के विकल्प को अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में देना होगा। आवेदन पत्र जमा करने के बाद, इस तरह के विकल्प बदलने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प चुनता है, तो उसे आवेदन पत्र में वर्तमान निवास के जिला और राज्य के साथसाथ-मूल जिला और राज्य की जानकारी देनी होगी । ऐसे मामलों में उनकी अभ्यर्थिता पर मूल राज्य से ही विचार किया जाएगा।**

6. दिव्यांग व्यक्ति (दि.व्य). इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

7. शुल्क देय :भारतीय स्टेट बैंक चालान/भारतीय स्टेट बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा

वीजा, मास्टरकार्ड या मेस्ट्रो क्रेडिट डेबिट कार्ड के प्रयोग के माध्यम से केवल एक सौ रुपए (100/- रूपए) देय है। सभी महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्वसैनिकों के आरक्षण के लिए पात्र अभ्यर्थियों को शुल्क में छूट दी गई है ।

8. अंतिम तिथि:

ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट http://www.ssconline.nic.in के माध्यम से जमा किया जा सकता है अथवा आवेदन करने के लिए http: //www.ssc.nic.in-> एप्लाई-> 'जीडीकॉन्स्टेबल-' में दिए गए लिंक 'Click here to apply' के जरिए दिनांक 21.07.2018 से 20.08.2018 तक (1700 बजे तक) जमा करें। ऑनलाइन शुल्क भुगतान केवल समाप्ति तिथि और समय तक ही किया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से दिनांक 23.08.2018 तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की नामित शाखाओं में भुगतान किया जा सकता है बशर्ते कि चालान आवेदन की प्राप्ति के अंतिम तारीख और समय अर्थात 20.08.2018 (1700 बजे तक) से पहले बनाया गया हो।

9. भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा । सेवा शुल्क आदि सहित एक ही आवेदन के लिए एक से अधिक बार भुगतान किया गया शुल्क भी वापस नहीं किया जाएगा।

10. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए 'एकबार पंजीकरण ' करने के दौरान प्रदान की गई 'पंजीकरणआईडी-' और 'पासवर्ड' को ध्यान में रखना चाहिए जिसकी आवश्यकता ऑनलाइन आवेदन के दौरान होती है ।

11. जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा किया जाता है, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंटआउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

12. एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाना है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र भरने के समय सावधानी बरतें। यदि किसी अभ्यर्थियों के एक से अधिक आवेदनों का पता चला है, तो आयोग नवीनतम आवेदन पर विचार करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी कई आवेदन जमा करता है और परीक्षा में (किसी भी स्तर पर) क बारएक से अधि बैठता है, तो उसकी अभ्यर्थिया रद्द कर दी जाएगी और उसे तीन साल तक आयोग की परीक्षाओं से वारित कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थियों को अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और माता का नाम सावधानीपूर्वक मैट्रिक प्रमाणपत्र में दिए गए अनुसार लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।

13. मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या आवेदन जमा करने की तारीख पर उपलब्ध

समकक्ष/प्रमाणपत्र में दर्ज जन्म की तारीख को ही केवल जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

14. अपाठ्य हस्ताक्षर वाले आवेदन/धुंधली फोटो/हस्ताक्षर को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

15. एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

16. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई-मेल पता और मोबाइल नम्बर को भरे क्योकि आयोग द्वारा ई-मेल/ एसएमएस से पत्राचार किया जा सकता है।

17. **अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिवास राज्य और जिला के बारे में जानकारी प्रदान करते समय बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आवेदन पत्र जमा करने के बाद आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में राज्य और जिला के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा । यदि विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अधिवास प्रमाणपत्र और ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा उल्लेखित जिला और/अथवा राज्य में कोई भिन्नता पाई जाती है तो, तो उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा और उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

18. **अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिकता के क्रम में के. स.पु.बलों/ संगठनों की वरीयता देते समय बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है । आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात वरीयता में किसी भी परिवर्तन के अनुरोध पर आयोग द्वारा किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।**

19. अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि वे युद्ध बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया में उन्हें पूर्ण शारीरिक और मानसिक तैयारी के साथ भाग लेना चाहिए और वे, भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होनी वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होंगे। भर्ती एजेंसी/केन्द्र ऐसी किसी अनपेक्षित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। अभ्यर्थी इस भर्ती में अपने जोखिम पर ही भाग लेंगे।

20. शारीरिक दक्षता परीक्षा/ शारीरिक मानक परीक्षा तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र केन्द्रीय रिजर्ब पुलिस बल द्वारा उनकी वेबसाइट www.crpf.gov.in पर जारी/ अपलोड की जाएगी, जबकि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र कर्मचारी चयन आयोग की संबंधित वेबसाईट पर जारी/अपलोड किया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर पर प्रवेशपत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा । अतः प्रवेशपत्र को सही समय पर डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को नियमित आधार पर के.रि.पु.बल की www.crpf.gov.in, कचआ-मुख्यालय तथा क.च.आ. के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाईट को देखने के लिए सलाह दी जाती है।

21. अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा/ शारीरिक मानक परीक्षा तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/ पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा के प्रवेशपत्र से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए विशेष चयन बोर्ड (प्रकोष्ठ) भर्ती शाखा, महानिदेशालय, के.रि.पु.बल, ब्लॉक संख्या 01, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली अथवा उनकी हेल्पलाईन संख्या 011-24368630 से संपर्क कर सकते हैं।

22. अभ्यर्थी आवेदन भरने/जमा करने तथा कंप्यूटर आधारित परीक्षा से संबंधित यदि कोई स्पष्टीकरण चाहते है तो निम्नलिखित क्षेत्रीय हेल्पलाईनों से संपर्क कर सकते हैः

(i)	क.च.आ. (म.क्षे.), इलाहाबाद	0532 2460511, 0532 6541021
(ii)	क.च.आ.(पू.क्षे), कोलकाता	09477461228, 03322902230
(iii)	क.च.आ. (के.क.क्षे.), बेंगलुरु	080 25502520, 09483862020
(iv)	क.च.आ. (म.प्र.क्षे), रायपुर	07712282507, 07712282678
(v)	क.च.आ. (पूर्वो क्षे.)गुवाहाटी	090850735 9 3, 09085015252
(vi)	क.च.आ. (उ.क्षे.), नई दिल्ली	011 64715222, 011 24363343
(vii)	क.च.आ. (पश्चि.क्षे.), चंडीगढ़	0172 2749378, 0172 2744366
(viii)	क.च.आ. (द.क्षे.), चेन्नई	09445195946, 044 28251139
(ix)	क.च.आ. (प.क्षे.), मुंबई	09869730700, 07738422705
(x)	के.रि.पु.बल हेल्पलाइन संख्या	011 24368630

23. अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षा तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा के केन्द्र तथा परीक्षा स्थल में कम से कम एक फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान पत्र, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड इत्यादि मूल रूप से लाना चाहिए । ऐसा न करने पर उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षा तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

24. यदि कोई भी अभ्यर्थी जानबूझ कर सिर की चोट (सूजन/ फूलना) का बहाना करता है तथा ऊचाई में विशेषाधिकार पाने के लिए सिर पर ईमली रखता है तो भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए इस तरह के अभ्यर्थियों को वारित कर दिया जाएगा ।

25. शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को यदि ऊर्जावान दवा के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए वारित कर दिया जाएगा ।

26. प्रत्येक शारीरिक मानक परीक्षा केंद्र में शारीरिक मानक परीक्षा के लिए अपीलीय प्राधिकारी उपलब्ध होगा । यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक मानक परीक्षा बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट या सहमत नहीं होता है तो वह उसी दिन संबंधित भर्ती केंद्र में केवल पीठासीन अधिकारी के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकता है । अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय

अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में आगे किसी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) के लिए कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगी ।

27. परीक्षा केंद्रों के परिसर में ब्लूटूथ उपकरणों सहित मोबाइल और अन्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग प्रतिबंधित हैं। परीक्षा के दौरान इस तरह के उपकरणों का अधिग्रहण, प्रयोग अथवा इन्हें स्विच ऑफ मोड में पाए जाने पर, अनुचित साधनों का प्रयोग करना माना जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। उनके विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई एवं विज्ञप्ति के पैरा 16 में उल्लिखित अवधि के लिए आयोग की परीक्षाओं से वारित करने सहित आगे कार्रवाई की जा सकती है।

28. किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके नकली/जाली आवेदन/ पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी / साईबर कैफे उत्तरदायी होगा तथा उनके विरूद्ध साईबर/ आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जा सकती है ।

29. यदि किसी अभ्यर्थी को अंतिम रूप से चयन किया जाता है और परिणाम घोषित होने के बाद एक वर्ष की अवधि के भीतर आयोग या संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो उसे संबंधित प्रयोक्ता विभाग के साथ संपर्क करना होगा ।

30. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुँच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा. 39020/1/2016 –स्था. (ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंक तथा रैंकिंग को अपने पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा । तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि अंतिम परीक्षा में अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक- अंक, रैंकिंग के अलावा अंतिम परीक्षा परिणाम घोषणा के पश्चात अभ्यर्थी का नाम, अभिवावक/ पति का नाम , शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग (पुरूष/ महिला), अर्हक परीक्षा में कुल अंक, ई-मेल पता सहित पूरा पता वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा । तथापि, अभ्यर्थियों के पास अपना आवेदन पत्र भरते समय उपरोक्त विवरण को सार्वजनिक न करने का विकल्प होगा ।

ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन जमा करने के लिए प्रक्रिया/ अनुदेश

1. अभ्यर्थियों को वेबसाइट http://www.ssconline.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अथवा आवेदन करने के लिए http: //www.ssc.nic.in-> एप्लाई->'जीडी-कांस्टेबल' पर उपलब्ध लिंक 'Click here to apply' पर जाएं।
2. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एकबारगी 'पंजीकरण फॉर्म' / आवेदन पत्र भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
3. अनुदेशों को पढ़ने के बाद, अभ्यर्थी को पंजीकरण भाग में जाकर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरना चाहिए।
4. पंजीकरण भाग में, अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित मूलभूत जानकारी भरनी होगी। विवरण जमा करने पर अभ्यर्थियों को फॉर्म जमा करने से पहले विवरणों की जांच करने और सुधार यदि कोई हो तो करने के लिए कहा जाएगा।
5. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन पत्र भरते समय सभी आवश्यक विवरण प्रदान करना चाहिए। अनिवार्य क्षेत्र को * (तारक) चिह्न से चिह्नित किया गया हैं।
6. पंजीकरण फॉर्म जमा करने पर, **पंजीकरण आईडी** और **पासवर्ड** प्रदान किया जाएगा । **पंजीकरण आईडी और पासवर्ड को नोट करें और उन्हें सुरक्षित रखें। यह आपका स्थायी पंजीकरण आईडी और पासवर्ड होगा जो इस परीक्षा के साथ-साथ आयोग की किसी भी अन्य भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आवश्यक होगा ।**
7. पंजीकरण फॉर्म जमा करने के बाद, अभ्यर्थी को अपना नवीनतम रंगीन फोटोग्राफऔर हस्ताक्षर अपलोड करना होगा । फोटोग्राफ और हस्ताक्षर जेपीजी प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए। फोटोग्राफ का डिजिटल आकार 4 केबी से अधिक और 20 केबी से कम होना चाहिए। हस्ताक्षर का डिजिटल आकार 1 केबी से अधिक और 12 केबी से कम होना चाहिए । फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिएं और फोटो भी पहचान योग्य होना चाहिए । धुंधले फोटो / हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
8. अभ्यर्थी द्वारा फोटो और हस्ताक्षर अपलोड किए जाने के बाद ही पंजीकरण पूरा होगा ।
9. पंजीकरण भाग पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहिए।
10. पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी उपरोक्त 3 से 9 तक में दिए गए अनुदेशों को छोड़ सकते हैं और सीधे "पंजीकरण आईडी" और " पासवर्ड" का प्रयोग करके सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं और आवेदन पत्र भर सकते हैं।
11. यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए 'एकबारगी पंजीकरण' डाटा के फोटोग्राफ/हस्ताक्षर इत्यादि में कोई विसंगति हो तो ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले उस ' एकबारगी पंजीकरण ' डाटा में उपयुक्त रूप से परिवर्तन किए जा सकते है । आयोग पंजीकरण के बाद नाम, पिता का नाम, माता का नाम , जन्म तिथि, लिंग तथा मैट्रिकूलेशन अनुक्रमांक आदि में केवल एक बार संशोधन करने की अनुमति देता है। अतः इन खानों को बेहद सावधानी से भरा/ परिवर्तन किया जाए । 'एकबारगी पंजीकरण' के अन्य खानों में परिवर्तन प्रत्येक परीक्षा से पहले एक बार किया जा सकता है । परंतु यह परीक्षा का आवेदन जमा करने से पहले करना होगा । एक बार आवेदन

जमा कर दिया गया है तो 'एकबारगी पंजीकरण' और 'आवेदन डाटा' में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ।

12. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को सावधानी से पढ़ना चाहिए। उन्हें स्वयं संतुष्ट होना होगा कि वे पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं ।
13. अभ्यर्थी को अंतिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने से पहले, ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सभी प्रविष्टियों की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। किसी भी विसंगति के मामले में, संगत प्रविष्टि को सही / सुधार किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से जमा करने के बाद, किसी भी विवरण में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14. ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद, अभ्यर्थियों को **शुल्क भुगतान** करना होगा (अभ्यर्थियों जिन्हें शुल्क भुगतान से छूट दी जाती है उन्हें शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है) ।शुल्क का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक चालान/भारतीय स्टेट बैंक नेट बैंकिंग या वीजा, मास्टरकार्ड या मेस्ट्रो क्रेडिट / डेबिट कार्ड का प्रयोग करके किया जा सकता है । ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा (ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से शुल्क का भुगतान सहित) 21.07.2018 से 20.08.2018 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी । हालांकि, जो अभ्यर्थी भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे 23.08.2018 तक बैंक के कामकाजी समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की नामित शाखाओं में भुगतान कर सकते हैं बशर्ते कि उनके द्वारा चालान 20.08.2018 को सायं 5.00 बजे से पहले उत्पन्न किया गया हो।
15. सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान करने पर, आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।आप अपने रिकार्ड के लिए आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं लेकिन आपको इस <u>प्रिंटआउट को आयोग को जमा करने की आवश्यकता नहीं है ।</u>

अनुबंध-IV

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 4 (ख) की टिप्पणी-।।।देखें)

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार.....
..... (नंबर).....(रैंक)
.....
.....(नाम).....(दिनांक).....को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे ।

स्थानः (कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांकः कार्यालय की मुहरः

<u>विज्ञप्ति के पैरा 4(ख)की टिप्पणी III के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र</u>

मैं यह जानता/जानती हूं कि यदि उस भर्ती/ परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य पर उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत निर्मुक्त/ सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं भूपूसै (समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति नियम, 1979) की शर्तों के अधीन भूपूसै को देय लाभों का अधिकारी हूं ।

मैं यह भी समझता/समझती हूं कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं हूंगा/ हूंगी ।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना देता/देती हूं :

क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि _____

ख) कार्यमुक्ति की तिथि _____

ग) सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि _____

घ) मेरी अंतिम यूनिट/कोर _____

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभयर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभयर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.....

पुत्र/पुत्री.....निवासी ग्राम/कस्बा* ..... जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.....के .....

जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.....

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950.....

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*.....

संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951*.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@

संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@

संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* .....के माता/पिता श्री/श्रीमती.....निवासी ग्राम/कस्बा*.....

.....जिला/संभाग*.....

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*..... को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो .....जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो.....दिनांक.....द्वारा जारी .... राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी.....और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*.....जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....में रहता है ।

हस्ताक्षर.....

**पदनाम.....

स्थान.....

दिनांक..... (कार्यालय की मुहर सहित)

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणीः- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाल प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि .....

पुत्र/पुत्री ..... ग्राम .....जिला/संभाग .....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ..... समुदाय से संबंघित हैं जो दिनांक------संकल्प सं.----------सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कुO.....तथा/या उनका परिवार सामान्यतः .....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ..... जिला/संभाग में रहता/रहते हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. -(एससीटी), दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांकः

मुहरः
जिलाधीश या
उपायुक्त आदि।

*प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा का उल्लेख करना होगा जिसमें अभयर्थी की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है ।

* समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त सामान्यतः शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा -9(iii) देखें)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ----------
---------पुत्र श्री----------
----------ग्राम----------
----------तहसील/तालुका----------जिला-----
----------राज्य के स्थायी निवासी हैं ।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

* गढ़वाली, कुमायूंनी, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित अभयर्थी ।

* पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा, एवं दार्जिलिंग जिले के तीन जिलों नामतः दार्जिलिंग,कलिम्पोंग और कुरसिंयोंग सहित गोरखा प्रादेशिक प्रशासन(जीटीए) की श्रेणी में आने वाले इन जिलों में निम्नलिखित "मोजास" उप-मण्डल शामिल हैं:

(1)लोहागढ़ चाय बागान (2)लोहागढ़ वन (3)रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा आदलपुर (7) पहारू (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-I (10) पंतापती वन-I (11) महानदी वन (12) चम्पासरी वन (13) सलवारी छाट भाग-II (14) सितोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया

* वह अनुसूचित जनजाति के हैं ।

हस्ताक्षर
जिला मजिस्ट्रेट/उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

दिनांक :
स्थान :

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें ।

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
मैट्रिकुलेशन /10 वीं कक्षा पास	01
इंटरमीडिएट उच्चतर माध्यमिक /10 + 2	02
प्रमाणपत्र	03
डिप्लोमा	04
बीए	05
बीए (ऑनर्स।)	06
बी. कॉम	07
बीए (ऑनर्स।)	08
बी.एससी	09
बी.एससी(ऑनर्स।)	10
बी.एड	11
एलएलबी	12
बीई	13
बी. टेक	14
एएमआईई (भाग क तथा भाग ख)	15
बी.एस.सी (इंजी)	16
बी.सी.ए	17
बी.बी.ए	18
रक्षा (भारतीय सेना, वायु सेना, नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी. फार्मा	21
आई.सी. डब्ल्यू ए	22
सी.ए	23
पी.जी. डिप्लोमा	24
एम.ए	25
एम.कॉम	26
एम.एस.सी	27
एम.एड	28
एल.एल.एम	29
एम.ई	30
एम.टैक	31
एम.एस. सी (इंजी)	32
एम.सी.ए	33
एम.बी.ए	34
अन्य	35

(शैक्षिक योग्यता के लिए विषय कोड)

शैक्षिक योग्यता के विषय	कोड
इतिहास	01
राजनीति विज्ञान	02
अर्थशास्त्र	03
अंग्रेजी साहित्य	04
हिन्दी साहित्य	05
भूगोल	06
वाणिज्य	07
विधि	08
भौतिक विज्ञान	09
रासायन विज्ञान	10
गणित	11
सांख्यिकी	12
वनस्पति	13
प्राणी विज्ञान	14
कृषि विज्ञान	15
सिविल अभियांत्रिकी	16
वैद्युत अभियांत्रिकी	17
यांत्रिक अभियांत्रिकी	18
इलैक्टोनिकी अभियांत्रिकी	19
इलैक्टोनिकी एवं ऊर्जाअभियांत्रिकी	20
इलैक्टोनिकी एवं संचार अभियांत्रिकी	21
इलैक्टोनिकी एवं इंस्ट्रूमेंटेशन अभियांत्रिकी	22
कृषि अभियांत्रिकी	23
कंप्यूटर विज्ञान	24
कंप्यूटर अनुप्रयोग	25
सूचना प्रौद्यगिकी	26
पुस्तकालय विज्ञान	27
लेखाशास्त्र	28
वर्क एकाऊटेंसी	29
व्यापार प्रबंधन	30
जन संचार	31
पत्रकारिता	32
जन संचार एवं पत्रकारिता	33

फॉर्मेसी	34
फोटोग्राफी	35
मुद्रण प्रोद्यौगिकी	36
नर्सिंग	37
असमी	38
बंगाली	39
मलयालम	40
तेलुगु	41
कन्नड़	42
तमिल	43
मराठी	44
गुजराती	45
उर्दू	46
संस्कृत	47
अन्य	48

टिप्पणी: मैट्रिकुलेशन/ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और इंटरमीडियट/ उच्चतर माध्यमिक विषय के लिए कॉलम को खाली छोड़ा जाएं ।

(कोड सहित राज्य/संध शासित क्षेत्र)

राज्य/संध शासित क्षेत्र	कोड	राज्य/संध शासित क्षेत्र	कोड
अंडमान और निकोबार द्वीप समीह	01	लक्ष्यद्वीप	19
आंध्र प्रदेश	02	मध्यप्रदेश	20
अरूणाचल प्रदेश	03	महाराष्ट्र	21
असम	04	मणिपुर	22
बिहार	05	मेघालय	23
चंडीगढ़	06	मिजोराम	24
छतीसगढ़	07	नागालैंड	25
दादरा एवं नगर हवेली	08	उड़ीसा	26
दमन एवं द्वीव	09	पुडुचेरी	27
दिल्ली	10	पंजाब	28
गोवा	11	राजस्थान	29
गुजरात	12	सिक्किम	30
हरियाणा	13	तमिलनाडु	31
हिमाचल प्रदेश	14	तेलंगाना	32
जम्मू एवं कश्मीर	15	त्रिपुरा	33
झारखंड	16	उत्तर प्रदेश	34
कर्नाटक	17	उत्तराखंड	35
केरल	18	पश्चिम बंगाल	36

अनुबंध-XII (सीमावर्ती जिलों की सूची)

क्रम संख्या	राज्य	जिलें
1	असम	धुबरी
2		कछार
3		करीमगंज
4		कोकराझार
5		बाक्सा
6		चिरांग
7		उदालगुडी
8		दक्षिण शालमारा मानकाचर
10	गुजरात	वनासकाण्ठा
11		कच्छ
12		पाटन
13	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू
14		सांबा
15		कठुआ
16		पुंछ
17		राजौरी
18		बारामूला
19		बांदीपुर
20		कुपवाडा
21		कारगील
22		लेह
23	हिमाचल प्रदेश	लाहौल तथा स्पिति
24		किन्नौर
25	मेघालय	दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स
26		पश्चिम गारो हिल्स
27		दक्षिण गारो हिल्स
28		दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स
29		पूर्वी खासी हिल्स
30		पश्चिम जयंतिया हिल्स
31		पूर्वी जयंतिया हिल्स
32	मिजोराम	चम्पाई
33		लवांगतलाई
34		लूंगली
35		ममित
36		साईहा
37		सरछिप
38	नागालैंड	पेक
39		किफायर

40		मोन
41		ट्वेनसांग
42		नोकलाक
43	पंजाब	अमृतसर
44		तरन-तारन
45		फाजिल्का
46		फिरोजपुर
47		गुरदासपुर
48		पठानकोट
49	राजस्थान	बाड़मेर
50		बीकानेर
51		श्री गंगानगर
52		जैसलमेर
53	त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा
54		ऊनाकोटी
55		ढलाई
56		पश्चिम त्रिपुरा
57		खवाई
58		सेपाहीजाला
59		गोमाटी
60		दक्षिण त्रिपुरा
61	अरूणाचल प्रदेश	तवांग
62		तिरप
63		चांगलांग
64		लोंगडिंग
65		पश्चिम कामेंग
66		पूर्वी कामेंग
67		कुरूंग कुमें
68		करा डाडी
69		उपरी सोवनसिरि
70		पश्चिम सियांग
71		उपरी सियांग
72		दिवांग घाटी
73		निचली दिवांग घाटी
74		अंजॉ
75	पश्चिम बंगाल	कूचबिहार
76	सिक्किम	दार्जिलिंग
77	मणिपुर	दक्षिण दिनाजपुर
78		जलपाईगुड़ी
79		अलिपुरद्वार
80		मालदा
81		मुर्शिदाबाद

82		नादिया
83		उत्तर 24 परगना
84		दक्षिण 24 परगना
85		उत्तर दिनाजपुर
86		कालिमपोंग
87		पूर्वी सिक्किम
88		पश्चिम सिक्किम
89		उत्तर सिक्किम
90		उखरूल
91		चंडेल
92		चुराचांदपुर
93		कांमजोंग
94		टेगलोपॉल
95		फिऱ़जौल
96	बिहार	पश्चिम चम्पारण
97		पूर्वी चम्पारण
98		सीतामढ़ी
99		मधुबनी
100		सुपौल
101		अररिया
102		किशनगंज
103	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत
104		लखीमपुर खेरी
105		बहराइच
106		श्रावस्ती
107		बलरामपुर
108		सिद्धार्थनगर
109		महाराजगंज
110	उत्तराखंड	पिथोरागढ़
111		चम्पावत
112		उधमसिंह नगर
113		उत्तरकाशी
114		चमौली

अनुबंध-XIII

नक्सलवाद/आतंकवाद प्रभावित जिलों की सूची

नक्सल/आतंकवाद प्रभावित राज्यों के नाम	राज्यों में नक्सल/आतंकवाद प्रभावित जिलों के नाम	राज्या में नक्सल/आतंकवाद प्रभावित जिलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी, गुंटुर, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम,विजयनगरम, पश्चिमी गोदावरी	06
अरूणाचल प्रदेश	समस्त जिले	उग्रवाद
असम	समस्त जिले	उग्रवाद
बिहार	अरवल, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बांका, लखीसराय	16
छत्तीसगढ़	बस्तर, बीजापुर, दंतेवाडा, काकेर, नारायणपुर, राजनंदगांव, धन्तरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोंडागांव, बलरामपुर, कबीरधाम	14
जम्मू और कश्मीर	समस्त जिले	उग्रवाद
झारखंड	बोकारो, छत्र, धनबाद, पूर्वी सिंगभूम, गरवा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, लतेहर, लोहरडग्गा, पलामू, रांची, सिमडेगा, सरायकेला- खर्सवाँ, पश्चिमी सिंघभूम, खूंटी, रामगढ़, दुमका	19
मध्य प्रदेश	बालाघाट, मंडला	02
महाराष्ट्र	चंद्रपुर, गढ़चिरोली, गोंदिया	03
मणिपुर	समस्त जिले	उग्रवाद
मेघालय	समस्त जिले	उग्रवाद
मिजोरम	समस्त जिले	उग्रवाद
नागालैंड	समस्त जिले	उग्रवाद
उडीसा	कोरापुट, मलकनगिरी, नवरंगपुर, रायगढ़, संबलपुर, सुंदरगढ़, नयागढ़, कौंदमल, देवगढ़, कालाहांडी, नुआपडा, बारंगढ़ और बालगीर, अंगुल, बोध	15
तेलंगाना	आदिलाबाद, खम्मम, वारंगल ग्रामीण, भद्राद्री, कोठागुडम, जयशंकर, भूपाल, पल्ली, कुमारम भीम असीफाबाद, पंचेरियल,	08

	पेडापल्ली	
त्रिपुरा	समस्त जिले	उग्रवाद
उत्तर प्रदेश	चमौली, मिर्जापुर और सोनभद्र	03
पश्चिम बंगाल	झारग्राम	01
केरल	मल्लापुरम, पलक्कड, वायनाड	03
	कुल वाम पंथ उग्रवाद (एलडब्लूई)	90 जिले
	कुल उग्रवाद	08 प्रांत

अनुबंध-XIV(पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए जन्म/पहचान प्रमाणपत्र)

सरपंच/नम्बरदार/नायब तहसीलदार का कार्यालय.....

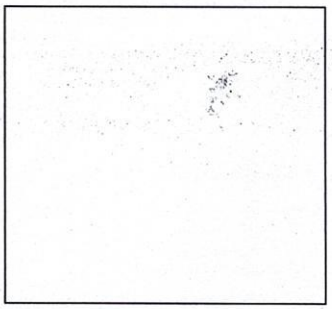

जम्मू और कश्मीर राज्य में निवास कर रहे पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के लिए पहचान पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती .....

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री..... पूर्व में अविभाजित

भारत (वर्तमान पाकिस्तान के .....गांव.....तहसील

..... जिला के रहने वाले वर्तमान में मकान संख्या .....

गली/लेन संख्या..... मोहल्ला.....

गांव.....तहसील ..... जिला ....

में रह रहे है, जो 1947 के भारत पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तान से प्रवास करने के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं ।

सरपंच/नम्बरदार/नायब तहसीलदार

डिस्क्लेमरः- कृपया ध्यान दें, इस विज्ञप्ति के हिंदी पाठ में वर्तनी संबंधी किसी भी त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।